न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0

मि0नं0 07/2020	तारीख दायरा 31.01.2020	तारीख फैसला 28.9.22

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

1– ईश्वरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– नर्बदा प्रसाद आत्मज कन्हैयालाल
2– बृजकिशोर आत्मज कन्हैयालाल मृतक जर्ये का0मु0
2/1 सीमा पुत्री बृजकिशोर
2/2 कविता पुत्री बृजकिशोर
2/3 ज्योति पुत्री बृजकिशोर
2/4 गिरिराज बाई पत्नि बृजकिशोर
3– गायत्री बाई पुत्री कन्हैयालाल, पत्नी गोरधन जाति ब्राहम्ण निवासी आरोन जिला गुना म0प्र0
4– सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल, पत्नी हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
5– गुड्डीबाई पुत्री कन्हैयालाल , पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा
6– चन्द्रकला बाई पुत्री नेनगराम, पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुल्तानुपर तहसील दीगोद जिला कोटा
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
8– भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified

निर्णय

वादी ने उपरोकत शीर्षक का वाद पत्र [illegible] है

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज0)

यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 321 की 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 0.42 हेक्टर, कुल किता दो की 1.47 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के दादा व प्रतिवादी नं0 6 के पिता नेनगराम आत्मज छोटूलाल जी के खाते में खाता नं0 907 नया पुराना 824 पर निम्न खसरा नम्बरीन की भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि नेनगराम जी को भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर द्वारा दी गयी है तथा राजस्व रिकार्ड में नेनगराम जी के साथ भूदान यज्ञ बोर्ड का भी नाम अंकित है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर नेनगराम जी ही काबिज काश्त चले आ रहे थे। नेनगराम जी की मृत्यु हो गयी ओर उनके कन्हैयालाल पुत्र व प्रतिवादी नं0 6 पुत्री उत्तराधिकारी है। तथा कन्हैयालाल जी की मृत्यु हो गयी व कन्हैयालाल जी के वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 वारिसान है। कन्हैयालाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा था।

यह कि चन्द्रकला बाई प्रतिवादी नं0 6 प्रारम्भ से ही ससुराल में रहती है ओर उसका कभी भी भूमि पर कब्जा नही रहा तथा प्रतिवादी नं0 6 ने अपने हिस्से की भूमि अपने भाई कन्हैयालाल के पक्ष में मौखिक रूप से हक त्याग कर चुकी है। इसी अनुसार कन्हैयालाल जी की पुत्रियां प्रतिवादी नं0 3, 4, 5 ने भी अपना हिस्सा अपने भ्राता वादी, प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर वादी, प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 के वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि नेनगराम जी की मृत्यु हो जाने से व भूमि हक त्याग कर दिये जाने से उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 खातेदार हो गये है। तथा उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादी नें प्रतिवादी नं0 7 से दिनांक 11.01.2020 को उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नेनगराम जी का फोती इंतकाल वादी, प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम खोले जाने हेतु व भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम दिर्ज करने हेतु कहा तो प्रतिवादी नं0 7 ने उक्त भूमि वादी, प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इस कारण वाद उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

(अ) कि ग्राम सुल्तानुपर तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 321 की 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 0.42 हेक्टर, कुल किता दो की 1.47 हेक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के वारिसान को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे।

(ब) कि ग्राम सुल्तानुपर तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 321 की 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 0.42 हेक्टर, कुल किता दो की 1.47 हेक्टर भूमि नेनगराम जी के स्थानल पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

(स) कि भूदान यज्ञ बोर्ड का नाम खाते से हटाया [illegible]

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज [illegible] शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2071–2074 ग्राम सुल्तान[illegible]

2– मृत्यु प्रमाण पत्र कन्हैयालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
[illegible] कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मृत्यु प्रमाण पत्र नेनगराम

4– वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई वादीगण क्रम 1, 2/2 ता 2/4 व 3 ता 6 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 7 व 8 की ओर से पृथक पृथक जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार दीगादे से मृतक नेनगराम पुत्र छोटुलाल व मृतक कन्हैयाल के वारिसान की रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल फाईल की गई।

यह प्रश्नगत भूमि भूदान बोर्ड की थी जो नेनगराम पुत्र छोटूलाल जाति ब्राहम्ण को बोर्ड द्वारा आवंटन की गई थी। भूदान बोर्ड की ओर प्राप्त जवाब में स्पष्ट किया है कि " प्रस्ताव संख्या 22 न्यायिक प्रकरण:– सर्वसम्मति से तय किया गया कि भूदान– ग्रामदान क्योंकि गांधी– विनोबा के सिद्वांतों से अभिप्रेत है तथा आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं है। अतः पैरवी करने के बजाय बोर्ड के विरूद्व दायर न्यायिक प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत करने के साथ निर्णय करने का अधिकार न्यायालय पर छोडते हुए निवेदन कर दिया जाना चाहिए कि न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वह बोर्ड को मान्य होगा। निवेदन में यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि न्यायालय भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 ग्रामदान अधिनियम, 1971 की रखा करें।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 28.02.2020 को उभय पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की ओर से राजीनामा आपसी सहमति से प्रस्तुत किया है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा सहमति से आदेशिका पर एवं प्रस्तुत राजीनामा पर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा की की गयी एवं प्रतिवादी की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवाई गई।

यह कि प्रकरण में जवाब प्रतिवादीगण उपरान्त प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। वादी अधिवक्त की ओर से साक्ष्य में ईश्वरलाल शर्मा की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण को बहस में नियत किया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रतिवादी गण की ओर से सहमति पूर्वक जवाब व आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र में पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार करने हेतु दौराने बहस निवेदन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि निर्णय करने का अधिकार न्यायालय पर छोडते हुए निवेदन किया है कि कि न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वह बोर्ड को मान्य होगा। प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार ने राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम में संशोधन कर भूदान आवंटितियों को खातेदारी देने का संशोधन कर दिया है। एवं राजस्थान सरकार ने राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करती करने की अधिसूचना दिनांक 1.12.2015 [illegible] जा चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत दस्तावेजात, एवं वादीगण के अधिवक्ता की बहस से स्पष्ट होता है कि वादपत्र में वर्णित कृषि आराजी खसरा नम्बर 321 की 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 0.42 हेक्टर कुल किता दो की 1.47 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के आगे दर्ज भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर शब्द को हटाया जाना न्यायोचित

सहायक कलक्टर
[illegible], जिला कोटा (राज.)

प्रतीत होता है। एवं उभय पक्ष में सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार होने योग्य है। एवं प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, व 6 ने स्वेच्छा से अपना हिस्सा का हक त्याग कर दिये जाने पर उक्त विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वात्र राजीनामा अनुसार स्वीकार करते हुए ग्राम सुल्तानपुर के खसरा नम्बर 321 की 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 0.42 हेक्टर, कुल किता दो की 1.47 हेक्टर भूमि पर से भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर अंकित शब्द को हटाये जाने एवं वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के वारिसान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, व 6 के द्वारा अपना हिस्सा का हक त्याग करने पर हक त्याग का मुद्रांक शुल्क नियमानुसार वसूल करते हुए मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

1– ईश्वरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– नर्बदा प्रसाद आत्मज कन्हैयालाल
2– बृजकिशोर आत्मज कन्हैयालाल मृतक जर्ये का0मु0
2/1 सीमा पुत्री बृजकिशोर
2/2 कविता पुत्री बृजकिशोर
2/3 ज्योति पुत्री बृजकिशोर
2/4 गिरिराज बाई पत्नि बृजकिशोर
3– गायत्री बाई पुत्री कन्हैयालाल, पत्नी गोरधन जाति ब्राहम्ण निवासी आरोन जिला गुना म0प्र0
4– सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल, पत्नी हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
5– गुड्डीबाई पुत्री कन्हैयालाल , पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा
6– चन्द्रकला बाई पुत्री नेनगराम, पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुल्तानुपर तहसील दीगोद जिला कोटा
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
8– भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम</u>
<u>मिसल नं 07/2020</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादी का [illegible] अनुसार स्वीकार करते हुए ग्राम सुल्तानपुर के खसरा नम्बर 321 की 1.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 0.42 हेक्टर, कुल किता दो की 1.47 हेक्टर भूमि पर से भूदान यज्ञ बोर्ड [illegible] अंकित शब्द को हटाये जाने एवं वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के वारिसान [illegible] कृषक घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillen Singh
Date: 2022.10.11 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, व 6 के द्वारा अपना हिस्सा का हक त्याग करने पर हक त्याग का मुद्रांक शुल्क नियमानुसार वसूल करते हुए मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 28.9.22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थ्मलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
उपखण्ड दीगोद जिला (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested